FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

रुगाराम बनाम नरुराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111,128 RLRA नं. 164/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/05/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रुगाराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRA राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/06/19 को पेश हो।	
12/06/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 10/07/19 को पेश हो।	
10.7.19	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दि० 4/9/19 को पेश हो।	
4.9.19	प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण उप०। पीठासीन अधिकारी ब्लॉक स्तरीय कार्यों में व्यस्त होने से मिसल दि० 30.12.19 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested

30/12/19 प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण अनु०। पीठासीन ... अवकाश में होने से पत्रावली दि० 10/2/2020 को पेश हो।

2

क्र/वाद/20..

10/2/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनु०। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई लगाई गई। अन्तिम आवाज 5.45 Pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि लगते आए हुए है। प्रार्थी के खेत के मेड़ो पर पुरानी माड एवं कांटे बने हुए है जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है। इस कारण प्रार्थी को अपने मेड़ो का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। इसलिए वर्षात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में काश्त कर लेते है। जिससे पक्षकारो के बीच तनाजा बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेखमवंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमवंदी आवेदन स्वीकार कर नेखमवंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमवंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर एवं सम्बंधित भू.अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमवंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर हो कर ... रिकार्ड ... हो।

(हस्ताक्षर)
10.2.2020
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 128 दिनांकः– 12/2/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. खरथाराम पुत्र करनाराम वगैरा जाति जाट निवासी कालानाड़ा झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. नरूराम पुत्र तेजाराम वगैरा निवासी कालानाड़ा झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या ~~285~~ 164 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा कालानाड़ा पटवार हल्का झाक तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 677 / 392, 684 / 608 रकबा क्रं.स. 22.10, 37.14 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 129–133 दिनांकः– 12/2/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी झाक को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खरथाराम
4. विप्रार्थीगण श्री नरूराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

10.2.2020
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:38:42 IST
Reason: SelfAttested